



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञापित

संख्या- 37
09/01/2019

पटना जिले के सभी स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियाँ
पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक ही
चलेंगी

पटना, 09 जनवरी 2019 :- श्री कुमार रवि, जिला दण्डाधिकारी, पटना ने आदेश निर्गत करते हुए अवगत कराया है कि टंड के प्रकोपवश बच्चों के जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पटना जिले के सभी स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 9.00 बजे से पहले तथा अपराह्न 3.00 बजे के बाद नहीं चलेंगी।

उक्त आदेश में यह निदेश दिया गया है कि यह आदेश दिनांक-10 जनवरी, 2019 से अगले आदेश तक प्रभावी होगा।
